न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 150 / 2024

सत्यपाल पुत्र हरीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 9 एल.के.एस–बी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. दलीपकुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति मेघवाल साकिन लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
2. देवीलाल | पि. बींझाराम जाति मेघवाल साकिन लालगढ़ जाटान
3. महेन्द्रसिंह | तहसील सादुलशहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. मनीराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार बिश्नोई	प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र पटीर	अप्रार्थी संख्या 1 व 3
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–30/06/25

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार बिश्नोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम मु. खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एल.के. एस–बी के खाता सं. 67156 के प.नं. 21286 (26) किला नं. 2, 3, 8, 9 व प.नं. 3/286 (25) किला नं. 7/2, 8 ता 14, 17 ता 20 की कुल 3.808 हैक. नहरी मय खातेदारी मे से प्रार्थी के नाम 3/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी मय नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील [illegible] चक 9 एल.के.एस–बी के खाता सं. 33/41 के प.नं. 2/286 (26) किला नं. 1 [illegible] 11 [illegible] व प.नं. 3/286 (25) के किला नं. 4, 5/1, 512, 5/3, 6/1 [illegible] 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 21 ता 25/1, 25/2, 25/3 इस प्रकार कुल दोनो पत्थरों की 3. 78[illegible] नहरी मय गै.मु. खाला रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके [illegible] नकल जमाबंदी सलग्न [illegible] पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। बल्कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता मौका पर चालू है। जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

भूमि में आना जाना कर रहा है। उक्त रास्ता का ईकरानामा तबादला मनीराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल साकिन लखासर द्वारा दिनांक 20.12.1994 को प्रार्थी को लिखकर दिया था तथा वर्तमान में दूबारा अप्रार्थीगण ने मुताबिक इकरारनामा तबादला दिनाक 25.08.2015 लिखकर दिया जिसमे उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत करवाकर अकंन किया जावे। तो अप्रार्थीगण को कोई उजर व एतराज नही होगा। तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व ट्रैक्टर व कृषि औजार ले जाने हेतू कोई रास्ता नही है ।

यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि 9 एल.के. एस–बी के खाता सं. 33/41 के प.नं. 3/286 (23) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 21 25/1, 25/2, 25/3 के किला नं. 16/1 में किला नं. 25 के चिपते पूर्व से पश्चिम दिशा मैन रास्ता पर आने जाने के लिए 1 बिस्वा यानि, 013 हैक्. रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे। तो प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आ जाकर काश्त कर सकेगा।

यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से पं.नं. 3/286 (25) के किला नं. 712 में से 1 बिस्वा भूमि दिनांक 20.12.1994 को रास्ता की एवज में भूमि का तबादला मिकरान ने प्राप्त कर लिया था। यह कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई भी रास्ता स्वीकृत व चालू नही है। यह कि अप्रार्थीगण जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 9 एल.के.एस–बी. के प.नं. 3/286 (23) के किला न. 16/1 में .013 हैक्. यानि 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले अपनी कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण ने दिनाक 20.12.1994 को पं.नं. 3/286 (25) किला नं. 7 में 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी से प्राप्त कर ली है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि कार्य करता है शेष कथन लाईल्मी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अप्रार्थी सं.4 से जरिये बैयनामा खरीद की है व खरीद के समय से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है। अप्रार्थी सं. 4 मनीराम का स्वर्गवास हो चुका है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य सुविधाजनक रास्ता होने से नया रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 की तलबी के बाद भी हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 14 दिनांक 14.01.2025 से प्राप्त हो

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested

चुकि है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प0नं0 3/286 (25) किला नं० 16/1 में मौके पर चालू है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पर जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन किया गया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प0नं0 3/286 (25) किला नं० 16/1 में मौके पर चालू है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पर जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– चक 9 एल.के.एस–बी. के प.नं. 3/286 (23) के किला न. 16/1 में .013 हैक. यानि 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन अनुसार आपसी सहमती होने के कारण बिना किसी प्रतिकर के रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि **किसी प्रकार का स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30/06/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा।